राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 21(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक : 02 MAR 2015

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम् श्रेणी में जी श्रेणी (स्वतंत्र) की वरियता संख्या एवं मांग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटन किये जाते हैं –

क्र सं.	जी श्रेणी वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	40	श्रीमती अंजू अरीचवाल कनिष्ठ लिपिक महिला बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर निवासी–5/57, गांधीनगर	जी–817, गांधीनगर	31.10.2037
2	69	श्री गुगन राम सैनी सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर निवासी–5/191, (पुराना नम्बर जी–961) गांधीनगर	जी–774, गांधीनगर	31.8.2026

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं, गांधीनगर, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।

8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0 अभि0 वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आंदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)
सहायक शासन सचिव